राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–03 (लो0सू0अ0) / 2023–24

श्री गोपाल कृष्ण, मकान संख्या–64, कवि रमण पथ, नागेश्वर कॉलोनी, पूर्वी बोरिंग रोड, पटना–800001

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
05.01.2023	श्री गोपाल कृष्ण, मकान संख्या–64, कवि रमण पथ, नागेश्वर कॉलोनी, पूर्वी बोरिंग रोड, पटना–800001 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–31.12.2022 इस कार्यालय में दिनांक–03.01.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 973358 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री गोपाल कृष्ण ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–10.11.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना नही दिये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–10.11.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–10.11.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–30.01.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 5/1/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–03 / 2023–24 (79 / 2022–2023)

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
30.01.2023	दिनांक–05.01.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–आर॰टी॰आई॰ 126 / रा॰स॰ (iii) दिनांक–30.11.2022 के माध्यम से अपीलार्थी श्री गोपाल कृष्ण, मकान संख्या–64, कवि रमण पथ, नागेश्वर कॉलोनी, पूर्वी बोरिंग रोड, पटना–800001 को उनके प्रपत्र 'क' दिनांक–10.11.2022 के आलोक में सूचना प्रेषित किया गया है। लोक सूचना पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार श्री गोपाल कृष्ण से प्रपत्र 'क' दिनांक–10.11.2022 राज्यपाल सचिवालय, पटना में दिनांक–16.11.2022 को प्राप्त हुआ है। प्रपत्र 'क' के साथ संलग्न आवेदन दिनांक–13.08.2021 को लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना ने अपने पत्रांक–210 दिनांक–30.11.2022 के माध्यम से आवेदन को वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को भेजा है, जिसकी प्रति आवेदक को भी भेजी गयी है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जब लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रपत्र 'क' दिनांक–10.11.2022 के आलोक में की गई कार्रवाई की सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्राप्त अपील आवेदन पर अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 30/1/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	